

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग-6

संख्या:- ५२/XXX(6)/2020-01(08)18-T.C.

देहरादून दिनांक २२ जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के उपकरण CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जनमानस की शिकायतों/समस्याओं/परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु संचालित सी0एम0 हैल्पलाईन सहित सुश्री आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून को शासकीय कार्यहित/जनहित में 01 जनवरी, 2020 से अग्रिम आदेशों तक CPGRAMS के नोडल अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सुश्री आरती बलोदी के वेतन, भत्ते/ अन्य सुविधाएं पूर्व की भांति उनके प्रशासकीय विभाग (महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग) से ही आहरित किये जायेंगे।

यह सम्बन्धीकरण आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।



(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव

संख्या:- /XXX (6)/20-01(08)2018 T.C. तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।


(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव